



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/76/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 17.08.2020

श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 10-ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़
बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 15.09.2020




सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.06.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 76/2020/(15.09)/546 दिनांक 19.08.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी को दिनांक 15.09.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.09.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2020 प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे दिनांक 13.09.2020 तक भी प्रत्यर्थी से अपीलोत्तर एवं चाहे गए दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हुई है अतः वांछित दस्तावेज/प्रमाणित प्रतिलिपियां दिलाने का आदेश प्रदान करावे।




लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 76/2020 (सू.अ.)
श्री गंगाधर सोलंकी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किए।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.06.2020 से 3 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध



करने पालना से अवगत करावें।

(के. के. शर्मा)

आई ए एस
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 15/09/2020

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./76/2020(सू.अ.)/610

प्रतिलिपि:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी
2. श्री गंगाधर सोलंकी पिता श्री मांगीलाल दर्जी निवासी 10-ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़



लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)